

- Regd -

FORM-I
(for linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR (57)/2014

683

Dated: 26/04/2016.

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 03-43-20 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Executive Engineer, HP PWD, Chopal Division, Chopal District Shimla for Construction of Dhadu (Dhatrog) to Bholala road (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Chopal in Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 03-43-20 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 22 annexure _____.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl: As above




(Rohan Chand Thakur)
District Collector
Shimla District (H.P.)
(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 19-03-2016 at 3.00P.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, claiming rights in Village Kanahal, Garah, Shalania, Bholala, forest area(s) 03-43-20 hect. under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Chopal were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

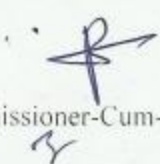
Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

OR

As informed by SDO (Civil) Chopal no application was received from Gram Sabha claiming right in 03-43-20 hect. forest area.

Place: Shimla

Date: 19-03-2016


Deputy Commissioner-Cum- Chairman

PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 19-03-2016 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI Rohan Chand Thakur, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

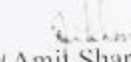
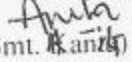
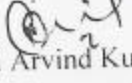
The following members of the District Level Forest Right Committee were present.

1. Shri G.C.Negi, Addl. District Magistrate, Shimla	Member Secy
2. Sh. H.K.Gupta, Divisional Forest Officer, Kotgarh	Member
3. Sh. Raman Sharma, DFO Shimla	Member
4. Sh. Amit Sharma, DFO Rampur	Member
5. Sh. K.R.Kaundal, DFO Theog	Member
6. Sh. Chaman Lal, DFO, Rohru	Member
7. Smt. Neelam Saraik, Member Zila Parishad	Member
8. Smt. Kanti Member Zila Parishad	Member
9. Shri Arvind Kumar, Member, Zila Parishad	Member

At the very outset the Addl. District Magistrate (p) welcomed all the members of the committee and a total 132 cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussion following decision were taken.

Out of total 132 cases 12 cases were split up to be processed Under Section 3.2 of Forest Rights Act, 2006 and it was decided to send back the papers to the user agency to process under FRA. Remaning 119 cases was placed before the committee and approved to be processed under FCA. Only one case i.e. construction of building for Fire Training Centre at Baldeyon was decided to be keep pending for want of formalities.

The meeting ended with vote of thanks.

 (H.K. Gupta)
  (Raman Sharma)
  (Amit Sharma)
  (K.R. Kaundal)
  (Chaman Lal)
 (Smt. Neelam Saraik)
 (Smt. ~~Kanti~~)
 (Shri Arvind Kumar)
 (Shri G.C. Negi)

Deputy Commissioner-Cum-Chairman
 District Level Forest Right Committee
 Shimla District Shimla, H.P.

3/4

OFFICE OF THE SDO (C) Chopal
DISTRICT SHIMLA (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division level Committee of Chopal Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr./Ms. Anil Chauhan at Chopal.

A reference from Executive Engineer B&R Division HPPWD Chopal has been received, requesting therein for issuing FRA certificate. In this regard, the certificates from five Forest Right Committee's namely 1. Kanhal, Kedi, 2. Garah, Nerwa, 3. Shalaniya G.P. Deiya Dochi, 4. Bholala G.P. Deiya Dochi 5. Ghala G.P. Deiya Dochi, have been received with Certification that no claims under RFA - 2006 have been received in these respective revenue villages.

The total area of forest land involved in the road is 03-43-20 hectare.

Hence after detailed due discussion, it is unanimously resolved that FRA certificate may be issued in R/o these five revenue Villages to the effect that no Forest right claims have been received in these revenue villages, and C/o road from Dhadu (^{Dhatog} Dhartua) to Bholala km 0/0 to 9/0 may be pursued accordingly.

No 1358 dt 30-9-2015 *[Signature]*

Place: Chopal
Date: 30-9-2015

D.C. Shimla

[Signature]
SDO (C) Chopal - Chairman
Sub-Division level Committee,
Chopal, Dist. Shimla (H.P.)
Chopal Sub-Division.

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा कनहाल (घतरोग)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 27-03-2015

वन अधिकार समिति ग्राम सभा कनहाल (घतरोग) की बैठक आज दिनांक 27-03-2015 को 11 बजे, स्थान कनहाल (घतरोग) में श्री/श्रीमति रोशन बाल की अध्यक्षता में की गई जिसमें कनहाल (घतरोग) गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें HPPWD विभाग द्वारा टांडू (घतरोग) के जोखाना सड़क निर्माण के लिए 0.40-44 हेक्टर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हलू प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यारा
1. कोई भी दावा वन अधिकार के लिए वन अधिकार समिति के पास प्राप्त नहीं हुआ है।
2. तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम
1. उपरोक्त
2. ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान कनहाल (घतरोग) वन अधिकार समिति द्वारा अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
दिनांक 27-03-2015 कनहाल (घतरोग) ग्राम सभा 01 कनहाल (घतरोग) जिला शिवमोहन

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा...
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या...

दिनांक 5/04/2019.

ग्राम सभा (केरी) गढ़ा की बैठक आज दिनांक 5-04-19 को
11 बजे स्थान केरी में श्री श्रीमती रोशन लाल उप-प्रधान की अध्यक्षता में
की गई जिसमें ग्राम पंचायत केरी गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें विकास विभाग द्वारा दावे (दावेदारों) में शामिल हैं) के निर्माण के लिए 0-49-44 हेक्टेयर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्योरा

1. कोई भी दावा वन अधिकार हेतु नहीं है।
2. अधिकार सौंपने गढ़ा से प्राप्त नहीं हुआ है।

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1. उपरोक्त
- 2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान केरी
दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



20/78

368

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा... केदी
विकास खण्ड... चापल जिला... शिवगढ़ (हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक... 5/4/15

गणपूर्ति... 110 / 300

प्रस्ताव संख्या... 7

विषय... ग्राम पंचायत पुनर्गठन
...के निर्माण हेतु हाइ (चालक) से लोडिंग विभाग/संस्था को लोडिंग विभाग/संस्था
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित हाइ (चालक) से लोडिंग विभाग/संस्था
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु। हाइ (चालक) से लोडिंग विभाग/संस्था

ग्राम सभा... केदी
...के हाइ (चालक) बजे, स्थान... केदी आज दिनांक 5-4-15
की गई, जिसमें लोडिंग विभाग/संस्था को लोडिंग विभाग/संस्था
के निर्माण हेतु हाइ (चालक) से लोडिंग विभाग/संस्था
0-49-44 जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित हाइ (चालक) से लोडिंग विभाग/संस्था
हाइ (चालक) से लोडिंग विभाग/संस्था

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी धर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे से संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और ली गई है तथा प्रस्तावित हाइ (चालक) से लोडिंग विभाग/संस्था
हाइ (चालक) से लोडिंग विभाग/संस्था
सहमति दी जाती है। हाइ (चालक) से लोडिंग विभाग/संस्था

स्थान... केदी
दिनांक... 5/4/15

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा... केदी
ग्राम पंचायत... केदी
वि. खण्ड चापल, जिला शिवगढ़ (हि.प्र.)

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा गड़ा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 4

दिनांक 10-04-2015

वन अधिकार समिति ग्राम सभा

गड़ा

को 11 बजे, स्थान

गड़ा

की अध्यक्षता में की गई जिसमें

और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें HPPWD विभाग द्वारा डाइरेक्टरी) में भोलाला सड़क निर्माण के लिए 0.25 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0

* पात्र गांव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का ब्योरा

1. वन अधिकार के लिए कोई भी दावा वन अधिकार समिति के पास प्राप्त नहीं हुआ है।

2. तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क0स0

* पात्र ग्राम वासी का नाम

1.

उपरोक्त

2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान गड़ा

दिनांक 10-04-2015

सचिव

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

वन अधिकार समिति ग्राम सभा

ग्राम सभा

ग0 मेरवा, त0 चौपाल

ग0 मेरवा, त0 चौपाल

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

31/32

वन अधिकार समिति ग्राम गढ़ा

आज दिनांक 10-04-2015

को वन अधिकार समिति की बैठक अध्यक्ष

श्री नन्द लाल शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, इसके सभी सदस्य निम्नलिखित हैं :-

1. श्री नन्द लाल शर्मा, अध्यक्ष
2. श्री लोकिन्दर दत्त शर्मा, सचिव
3. श्री भगत राम शर्मा, सदस्य
4. श्री कैवल राम शर्मा, सदस्य
5. श्री हरिदा राम, सदस्य
6. श्री हरिष, सदस्य
7. श्री श्रीमति विपना, सदस्य
8. श्रीमति शोभिलाषा, सदस्य
9. श्रीमति रोजनी देवी, सदस्य
10. श्रीमति देवप्रताप, सदस्य

उपरोक्त सभी सदस्य ने सह सुनिश्चित किया कि जहाँ से DHADU (DHATROG) TO BHOLALA km 0 to 1/0 सड़क का निर्माण होना है या फिर जहाँ से उपरोक्त सड़क जा रही है वहाँ पर किसी प्रकार के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा परम्परागत वन निवासियों का कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं पाया गया है।

अतः उपरोक्त समिति का उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) से अनुरोध है कि वे Dhadu (Dhatroog) to Bholala सड़क के लिए वन शुल्क 00-29-22E सड़क निर्माण जारी करने हेतु

F.R.A. Certificate (वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र) जारी करने की कृपा करें।

अध्यक्ष वन अधिकार समिति ग्राम गढ़ा
वन समिति ग्राम गढ़ा

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा नेरवा
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक 20-04-2015

ग्राम सभा नेरवा की बैठक आज दिनांक 20-4-2015 को
11 बजे स्थान नेरवा में श्री/श्रीमति हरी राम - चौधरी की अध्यक्षता में
की गई जिसमें नेरवा पंचायत गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें H.P.W.D विभाग द्वारा दावा (*गतिरोध) से गोलाल साहू
भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०स० * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

1. वन अधिकार के लिए कोई भी दावा वन अधिकार
2. सिफारिश से प्राप्त नहीं हुआ है।

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र०स० * पात्र ग्राम वासी का नाम

1. उपरोक्त -
2. उपरोक्त -

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान नेरवा
दिनांक 20-04-2015

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता Alkaghaal
ग्राम सभा दिनांक 20/4/2015

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

36/36

368

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा... नेरवा
विकास खण्ड... चौपाल जिला... बिमला (हि0प्र0)
प्रतिलिपि प्रस्ताव 13

दिनांक 20-4-05

गणपूर्ति 216/896

प्रस्ताव संख्या 13

विषय: अनापति प्रमाण पत्र
के निर्माण हेतु सि0 दाडू (घातरोण) से भोलाला सड़क
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-29-22 हैबटेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा 20-4-05 को नेरवा की बैठक आज दिनांक
की गई, जिसमें वन विभाग की बैठक आज दिनांक
सड़क के निर्माण हेतु सि0 दाडू (घातरोण) से भोलाला
00-29-22 हैबटेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने
के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर
सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से
यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे संबंधित सारी
प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा प्रस्तावित 00-29-22 हैबटेयर वन भूमि को सि0 दाडू
(घातरोण) से भोलाला निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा नेरवा
सहमति दी जाती है।

स्थान... नेरवा
दिनांक 20-4-05

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा...

न्यायत उर्वि
ग्राम सभा अध्यक्ष नेरवा
जिला वन अधिकारी

37/38

3

384

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा शालानिया
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 04

दिनांक 7-04-2015

वन अधिकार समिति ग्राम सभा शालानिया की बैठक आज दिनांक 7-04-15
को 11 बजे, स्थान शालानिया में श्री/श्रीमति सन्तोष कुमार
की अध्यक्षता में की गई जिसमें शालानिया गांव के अनुसूचित जनजाति
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें HPPWD विभाग द्वारा दादा चतुरेरा से भोलाभा लड़क
निर्माण के लिए 37.4 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त
हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों
का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0

* पात्र गांव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का ब्यापार

1. वन अधिकार के लिए वन अधिकार समिति के पास प्राप्त नहीं हुआ है।
2. जंगल का नाम

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी
सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0

* पात्र ग्राम वासी का नाम

1. उपरोक्त
2. उपरोक्त

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश
करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान शालानिया सचिव Alka अध्यक्ष सन्तोष कुमार
दिनांक 7-04-2015 वन अधिकार समिति ग्राम सभा शालानिया अधीकृत हस्ताक्षरकृत
शालानिया ग्राम सभा शालानिया (केपी) जिला हिमालय

- * ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- ** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

39/40

वन अधिकार समिति

आज दिनांक..... 7-04-2015 को वन अधिकार समिति की बैठक अध्यक्ष

श्री सन्तोष ठाकुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, इसके सभी सदस्य निम्नलिखित हैं :-

- | | | | |
|----------|-------------------|-------|-----------|
| 1. श्री | सन्तोष (क) भार | | अध्यक्ष |
| 2. श्री | मोती कालकादिनाईक | | सचिव |
| 3. श्री | मस्त राम चौधरी | | उपाध्यक्ष |
| 4. श्री | यशपाल ठाकुर | | सदस्य |
| 5. श्री | सुरेन्द्र बजाज | | सदस्य |
| 6. श्री | मोती सुभा देवी | | सदस्य |
| 7. श्री | मोती रक्षा देवी | | सदस्य |
| 8. श्री | मोती उर्मिला देवी | | सदस्य |
| 9. श्री | कलवन्त | | सदस्य |
| 10. श्री | पदीप नाथ | | सदस्य |

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा देईया दोन्नी
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 19-04-2015

प्रस्ताव संख्या 02

ग्राम सभा देईया दोन्नी की बैठक आज दिनांक 19-04-2015 को देईया में
11 बजे, स्थान देईया में श्री/श्रीमति रत्ना राव की अध्यक्षता में
की गई जिसमें ग्राम पंचायत देईया दोन्नी गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें HPWD विभाग द्वारा राष्ट्र (संरक्षण) के निर्माण के लिए 0-37-6 कटेयर वन
भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर धर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

1. वन अधिकार के लिए कोई भी दावा
2. वन अधिकार लागू हो प्राप्त नहीं हुआ है।

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती
है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1. उपरोक्त
- 2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान देईया दोन्नी
दिनांक 19-04-2015

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
उपयोग की अनुमति दी जानी है।

दिनांक

43/44

368

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा देईया - दोन्ची
विकास खण्ड चौफाल जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

गणपूर्ति 70/384

दिनांक 19/04/2015

प्रस्ताव संख्या 22

विषय: अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विभाग/संस्था को लेबलिंग विभाग
को निर्माण हेतु टाडू (चतुरोग) से भौलाला सड़क
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-37-64 हैक्टयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा देईया - दोन्ची की बैठक आज दिनांक 19-04-15 को 11-00 बजे स्थान देईया - दोन्ची
की गई जिसमें वन विभाग/संस्था को टाडू (चतुरोग) से भौलाला
के निर्माण हेतु चक शैलानियाँ जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित
0-37-64 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-37-64 हैक्टयर वन भूमि को टाडू (चतुरोग) से भौलाला सड़क निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा देईया - दोन्ची की सहमति दी जाती है।

स्थान देईया - दोन्ची
दिनांक

अधीकृत/हस्ताक्षर
ग्राम सभा
ग्राम प्रधान देईया दोन्ची
की मौजूदगी में जिला अधिकारी

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा मौलाला

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 02

दिनांक 11-04-2015

वन अधिकार समिति ग्राम सभा

मौलाला

की बैठक आज दिनांक 11-04-2015

को 11 बजे, स्थान मौलाला

में श्री/श्रीमति कमल - ठाकुर अध्यक्ष

की अध्यक्षता में की गई जिसमें

मौलाला

गांव के अनुसूचित जनजाति

और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें 41800 विभाग द्वारा राज्य (संरक्षण) से मौलाला जंगल

निर्माण के लिए 17.80 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त

हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत

दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों

का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0

* पात्र गांव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का ब्यौरा

1. वन अधिकार के लिए कोई भी दावा वन अधिकार समिति के पास प्राप्त

2. नहीं हुआ है।

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0

* पात्र ग्राम वासी का नाम

1.

उपरोक्त

2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

मौलाला

दिनांक

11-04-2015

सचिव

अध्यक्ष

अधीकृत हस्ताक्षर

ग्राम सभा

प्रधान

Kamat

वन अधिकार समिति ग्राम मौलाला

बु0 देसा, तै0 चौपाल, जिला शिमला

वन अधिकार समिति ग्राम मौलाला

बु0 देसा, तै0 चौपाल, जिला शिमला

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

47/46

वन अधिकार समिति भोलामा

आज दिनांक 11-04-2015

को वन अधिकार समिति की बैठक अध्यक्ष

श्री कमल हाकुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, इसके सभी सदस्य निम्नलिखित हैं :-

- | | | |
|-------------------------|----------------|--------------------|
| 1. श्री कमल हाकुर |, अध्यक्ष | <u>Kamal</u> |
| 2. श्री जगदीश हाकुर |, सचिव | <u>Jatnagar</u> |
| 3. श्री नीका राम |, सदस्य | <u>Nika</u> |
| 4. श्री उद्यम सिंह |, सदस्य | <u>Udyam Singh</u> |
| 5. श्री मती सुनीला देवी |, सदस्य | <u>Sunila Devi</u> |
| 6. श्री मती कमला देवी |, सदस्य | <u>Kamla Devi</u> |
| 7. श्री मती अनोल |, सदस्य | <u>Anol</u> |
| 8. श्री धसू राम |, सदस्य | <u>Dasu Ram</u> |
| 9. श्री अमर सिंह |, सदस्य | <u>Amr Singh</u> |
| 10. श्री बलवोर |, सदस्य | <u>Balvor</u> |

उपरोक्त सभी सदस्य ने यह सुनिश्चित किया कि जहाँ से ढाडू (चतरीग) से भोलामा दिनांक 01/06/10 सड़क का निर्माण होना है या फिर जहाँ से उपरोक्त सड़क जा रही है वहाँ पर किसी प्रकार के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा परम्परागत वन निवासियों का कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं पाया गया है।

अतः उपरोक्त समिति का उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) से अनुरोध है कि वे ढाडू (चतरीग) से भोलामा सड़क निर्माण जारी करने हेतु

F.R.A. Certificate (वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र) जारी करने की कृपा करें।

अध्यक्ष, Kamal
वन समिति भोलामा

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा देइया-वोन्नी
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 22

दिनांक 19-04-2015

ग्राम सभा देइया-वोन्नी की बैठक आज दिनांक 19-04-15 को 11 बजे, स्थान देइया-वोन्नी में श्री/श्रीमति स्वा. राधिका की अध्यक्षता में की गई जिसमें ग्राम पंच देइया-वोन्नी गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें हाथिया विभाग द्वारा हाथिया (न्यायिक) को नाला के निर्माण के लिए 1-97-90 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हैं। इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर धर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत धर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित प्रावों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

1. वन अधिकारों के लिए कोई भी दावा
2. वन अधिकारों की शर्तों के पास प्राप्त नहीं हुआ है।

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति की प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित प्रावों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1. उपरोक्त -
2. उपरोक्त -

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान देइया-वोन्नी

दिनांक 19-04-2015

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Bakal

49/50

368

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा देईया - दोन्ही
 विकास खण्ड धौपाम जिला शिवमोहन (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

गणपूर्ति 70/384दिनांक 19-04-2015प्रस्ताव संख्या 22

विषय: अनापत्ते प्रमाण पत्र वन के निर्माण हेतु दाई (धतूरा) से गोलाला में जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 03-97-90 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा देईया - दोन्ही की बैठक आज दिनांक 19-04-15 को 11 बजे स्थान देईया - दोन्ही में चक्र शास्त्रियों वन विभाग/ संस्था को दाई (धतूरा) से गोलाला के निर्माण हेतु 1-97-90 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 1-97-90 हैक्टयर वन भूमि को दाई (धतूरा) से गोलाला में

सहमति दी जाती है।

स्थान देईया - दोन्ही
 दिनांक 19-04-15

आचार्य [Signature]
 अधिकृत प्रस्तावकर्ता
 ग्राम सभा

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 02.

दिनांक 10-04-2015.

वन अधिकार समिति ग्राम सभा घाता की बैठक आज दिनांक 10-04-2015 को 11 बजे, स्थान घाता में श्री/श्रीमति रमेश रानाईक अध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई जिसमें घाता गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें 1188 विभाग द्वारा दादु (संरक्षण) न. शोलगा मड़क निर्माण के लिए 29-10-10 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासीयों के वन अधिकारों के आवेदनों पर धर्मा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्योरा
1. वन अधिकार के लिए कोई भी दावा वन अधिकार सौमित्र के पास प्राप्त
2. नहीं हुआ है।
तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम
1. उपरोक्त
2. —
तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान घाता

दिनांक 10-04-15

अध्यक्ष

वन अधिकार समिति काम चाल

को देखा, तै0 चौपाल, जिख शिमला

अधीकृत इस्तेमाल

ग्राम सभा

वन अधिकार समिति नाम घाता

को देखा, तै0 चौपाल, जिख शिमला

- * ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।
- ** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

वन अधिकार समिति

आज दिनांक 12-04-2015

को वन अधिकार समिति की बैठक अध्यक्ष

श्री रमेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, इसके सभी सदस्य निम्नलिखित हैं :-

- | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------------|
| 1. श्री <u>रमेश</u> |, अध्यक्ष | <u>Ramesh Kumar</u> |
| 2. श्री <u>सन्दीप लोवथ</u> |, सचिव | <u>Sandip</u> |
| 3. श्री <u>जात सिंह ध्वज</u> |, सदस्य | <u>जात सिंह</u> |
| 4. श्री <u>अनंत राम शर्मा</u> |, सदस्य | <u>Anant Ram</u> |
| 5. श्री <u>शेर सिंह रनाईक</u> |, सदस्य | <u>Sherr Singh</u> |
| 6. श्री <u>भूपेंद्र राम</u> |, सदस्य | <u>Bhupendra</u> |
| 7. श्रीमती <u>कृष्णा देवी</u> |, सदस्य | <u>Krushna</u> |
| 8. श्री <u>महेश कौशल शर्मा</u> |, सदस्य | <u>Mahesh</u> |
| 9. श्री <u>मूल शोभा शर्मा</u> |, सदस्य | <u>Mool Shobha</u> |
| 10. श्रीमती <u>शुनील देवी</u> |, सदस्य | <u>Shunil</u> |

उपरोक्त सभी सदस्य ने यह सुनिश्चित किया कि जहाँ से डांडू (चतुरांग) से गोलाला

..... सड़क का निर्माण होना है या फिर जहाँ से उपरोक्त सड़क जा रही है वहाँ पर किसी प्रकार के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा परम्परागत वन निवासियों का कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं पाया गया है।

अतः उपरोक्त समिति का उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) से अनुरोध है कि वे डांडू (चतुरांग) से गोलाला सड़क निर्माण जारी करने हेतु

F.R.A. Certificate (वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र) जारी करने की कृपा करें।


 अध्यक्ष
 वन अधिकार समिति चामे चाला
 वन समिति चामे चाला

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा देईया - केन्ही
प्रतिनिधि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक 19-04-2015.

ग्राम सभा देईया - केन्ही की बैठक आज दिनांक 19-04-15 को 11 बजे स्थान देईया - केन्ही में श्री/श्रीमति की अध्यक्षता में की गई जिसमें गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें 14000 विभाग द्वारा टाउ (सन्धतराग) से मोलाला जंगल के निर्माण के लिए 0-29-08 कटेर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उक्त पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा
1. मोहि जी दावा वन अधिकार के लिए 30 सीगरे
2. मैं प्राप्त नहीं हुआ है।

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम
1. उपरोक्त
2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान देईया केन्ही
दिनांक 19-04-2015

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

प्रस्ताव Batal
दिनांक

57/58

368

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा देईया रोनी
विकास खण्ड मोहना जिला जिला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 19/4/15

गणपूर्ति 70/384

प्रस्ताव संख्या

विषय: अनापत्ति पत्र
के निर्माण हेतु डा. (अपेक्षित) के गोला/लाल
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-29-00 हेक्टेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु

ग्राम सभा देईया रोनी को 19/4/15 की बैठक आज दिनांक 21/4/15
की गई जिसने हि. प्र. मो. वि. वन क्षेत्र में प्रस्तावित
के निर्माण हेतु 0-29-00 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-29-00 हेक्टेयर वन भूमि को डा. (अपेक्षित) गोला/लाल निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा देईया रोनी की सहमति दी जाती है।

स्थान देईया रोनी
दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा
मो. मोहना विकास खण्ड जिला जिला